रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 1986/माघ 23, 1907
No. 49] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 1986/MAGHA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1986

अधिसूचना

का. आ. 52 (अ) :—संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 की 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद 111 (धारा 10), अनुच्छेद IV (धारा 11 (जी) और 13), अनुच्छेद V (धारा 18) (ग), अनुच्छेद VI (धारा 22) (ब), (ङ) और (च) और अनुच्छेद VII को छोड़कर निम्नलिखित संशोधनों और आवश्यक परिवर्तन सहित सीमा-शुल्क सहयोग परिषद तथा इसके प्रतिनिधियों और अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर भर्ती अधिकारियों पर लागू होंगे :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

1. इस अधिसूचना में जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो "संयुक्त राष्ट्र" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी आएं, "सीमाशुल्क सहयोग परिषद" शब्द रखे जाएंगे।

2 अनुच्छेद 1 में,—

(1) धारा 1 की संख्या धारा 1क दी जाएगी और इस प्रकार दी गई धारा 1क की संख्या से पहले निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाएगी, यथा :—

"धारा 1 :—इस अनुसूची में, :—

(i) "सम्पत्ति और परिसम्पत्ति" में वह सम्पत्ति और निधि शामिल है जिसकी व्यवस्था सीमाशुल्क सहयोग परिषद अपने संवैधानिक कार्यों को आगे बढ़ाने में करेगी;

(ii) "सदस्यों के प्रतिनिधि" से अभिप्राय है प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधि, एजी, सलाहकार, तकनीकी विशेषज्ञ और सचिव।

(2) इस प्रकार दी गई धारा 1क की संख्या में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में जोड दिया जाएगा, यथा:—

"स्पष्टीकरण :—इन सभी मामलों में महासचिव, सीमा शुल्क सहयोग परिषद की ओर से कार्य करेगा"।

3. अनुच्छेद III में, —

धारा 9 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाएगा यथा —

"स्पष्टीकरण :—इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सीमाशुल्क सहयोग परिषद् और इसके किसी सदस्य के बीच करार द्वारा निर्धारित की जाने वाली उपयुक्त सुरक्षा संबंधी सावधानियों को स्वीकार करने में बाधा आएगी।"

4. अनुच्छेद IV में, —

(1) धारा 11, 12 और 13 में "संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख तथा सहायक अंगों के और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलनों के सदस्यों के प्रतिनिधियों" शब्दों के स्थान पर "सीमाशुल्क सहयोग परिषद्, स्थायी तकनीकी समिति और सीमाशुल्क सहयोग परिषद् की समितियों की बैठकों के सदस्यों के प्रतिनिधि" शब्द रखे जाएंगे।

(2) धारा 11 में खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, यथा :—

'उनके सामान के लिए वही उन्मुक्तियां और सुविधाएं दी जाएंगी जो राजनयिक मिशनों के समतुल्य रैंक के सदस्यों को दी जाती हैं।'

5. अनुच्छेद V में, —

(1) धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा :—

"धारा 17—सीमाशुल्क सहयोग परिषद अधिकारियों की श्रेणियां निर्धारित कर सकती है जिन पर यह अनुच्छेद लागू होगा। सीमाशुल्क सहयोग परिषद का महासचिव ऐसे अधिकारियों के नाम, जिन्हें इन श्रेणियों में शामिल किया गया है, अपने सदस्यों को बताएगा।"

(2) धारा 18 में —(क) खंड (क) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, यथा :—

'और अपने प्राधिकार की सीमाओं के अन्दर',

(ख) खंड (ङ) में "संबंधित सरकार के राजनयिक मिशनों के समतुल्य रैंक के अधिकारियों" शब्दों के स्थान पर "राजनयिक मिशनों के समतुल्य रैंक के अधिकारी" रखे जाएंगे।,

(ग) खंड (च) "राजनयिक दूत" शब्दों के स्थान पर "राजनयिक मिशनों के समतुल्य रैंक के अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) खंड (छ) के अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे। यथा :—

"और अपनी कार्य-अवधि पूरी कर लेने पर ऐसा फर्नीचर और सामान निःशुल्क वापस ले जाने के लिए।"

(3) धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा :—

"धारा 19—धारा 18 में बताये गए विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के अतिरिक्त सीमाशुल्क सहयोग परिषद के महासचिव को, उसके स्वयं, उसकी पत्नी/पति और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वे विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप राजनयिक मिशनों के प्रमुखों को प्रदान की जाती हैं।

सीमा शुल्क सहयोग परिषद के उप महासचिव को वही, विशेषाधिकार उन्मुक्तियां, रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो समतुल्य रैंक के राजनयिक प्रतिनिधियों को प्रदान की जाती है।

(4) धारा 20 में "सुरक्षा परिषद" शब्दों के स्थान पर सीमाशुल्क सहयोग परिषद" शब्द रखे जाएंगे।

6. अनुच्छेद VI में, —

(1) खंड 22 में :—(क) शुरू के खंड में "विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां शब्दों" के स्थान पर "विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और सुविधाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, यथा :—

"(ख) अपने कार्यों के निष्पादन में उनके द्वारा बोले या लिखे शब्दों या किए गए कार्यों के संबंध में कानूनी प्रक्रिया से उन्मुक्ति"

7. अनुच्छेद VI के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुच्छेद VI क

विशेषाधिकारों का दुरुपयोग

धारा 23क —सीमाशुल्क सहयोग परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधियों को परिषद्, इसकी स्थायी समिति या अन्य समितियों की बैठकों में, जब वे सरकारी ड्यूटी पर हों या भारत में बैठक के स्थान के लिए और वहां से अपनी यात्राओं के दौरान और धारा 17 और 22 के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों को अपनी सरकारी हैसियत से उनके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण उपयुक्त भारतीय प्राधिकारी देश छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कार्यकलापों में, जो उसके कार्यों के क्षेत्राधिकार से बाहर आते हों, आवास के विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के मामले में भारत सरकार उसे भारत छोड़ने के लिए कह सकती है बशर्ते कि —

(i) परिषद के सदस्यों के प्रतिनिधियों या व्यक्तियों के लिए, जो धारा 19 के अन्तर्गत राजनयिक विशेषाधिकार के हकदार है, भारत में प्रत्यायित राजनयिक दूतों को लागू राजनयिक प्रक्रिया से इतर किसी प्रक्रिया के अनुसार भारत छोड़ना अपेक्षित नहीं होगा।

(ii) उस अधिकारी के मामले में जिस पर धारा 19 लागू नहीं होती भारत छोड़ने का कोई भी आदेश भारत के विदेश मंत्री से इतर किसी व्यक्ति के अनुमोदन से जारी नहीं किया जाएगा और ऐसा अनुमोदन सीमाशुल्क सहयोग परिषद के महासचिव के परामर्श के बाद ही दिया जाएगा और यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध निष्कासन की कार्रवाई की जाती है तो सीमाशुल्क सहयोग परिषद के महासचिव को उस व्यक्ति की ओर से, जिसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया हो, इस प्रकार की कार्रवाइयों में उपस्थित होने का अधिकार होगा।

धारा 23ख

सीमाशुल्क सहयोग परिषद का महासचिव हर संभव न्याय की उचित व्यवस्था करने, पुलिस विनियमों का पालन करने और इस अनुसूची में बताये गए विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों और सुविधाओं के संबंध में दुरुपयोग की रोकथाम के लिए समुचित भारतीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।"

[सं. डी-II/451/84/16/(1)]

सलमान हैदर, नवाचार प्रमुख

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 1986

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of the Schedule to the said Act shall apply